न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 89/14 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. बिल्लू पुत्र झाबर जाति अहीर निवासी ग्राम कोलीला सांगा तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान

:---- अपीलांट

बनाम

1 बलबीर पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी माजरा काठ तहसील नीमराना जिला अलवर :----------असल रेस्पो0

2 सुभाष पुत्र झाबर जाति अहीर

3 राजू पुत्र झाबर जाति अहीर निवासीयान ग्राम कोलीला सांगा तहसील नीमराना जिला अलवर ।

:---- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, नीमराना
दिनांक 12.9.2019

उपस्थित :– वकील अपीलांट :– श्री रामेश्वर दयाल

वकील रेस्पो0 असल :– श्री अशोक शर्मा

निर्णय दिनांक 5.12.19

5/12/19
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, नीमराना द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 151/2019 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 12.9.2019 के खिलाफ है, जिसके द्वारा पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 5.8.19 से प्रतिवादी संख्या 22 बलबीर सिंह को आराजी खसरा नम्बर 91, 91/783 वाके ग्राम कोलीलासांगा तहसील नीमराना से मुक्त किया गया है । जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

2 विद्वान वकील अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि तहत न्यायालय ने प्रतिवादी रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र पर गलत तौर पर प्रतिवादी संख्या 22 रेस्पो0 बलबीर सिंह को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से मुक्त किया गया है । आराजी साबिक खसरा नम्बर 84 के हाल नम्बर 91 व 91/783 कुल रकबा 2.21 हेक्टेयर बने है जो आराजी वादीगण ने विक्रय कर दी । वादीगण ने दावे में निवेदन किया था कि साबिक खसरा नम्बर 84 का रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा था, जिसके हाल बंदोबस्त में खसरा नम्बर 91 व 91/783 कुल रकबा 2.21 हेक्टेयर कायम किया गया है, जबकि साबिक रेकार्ड अनुसार कुल रकबा 2.54 हेक्टेयर होना चाहिये था । इस प्रकार वादीगण ने उनके कम हुये 33 एयर रकबे की बाबत रिलीफ चाही थी । वादीगण ने विवादित आराजीयात का रकबा 2.21 हेक्टेयर ही विक्रय किया है तथा शेष रकबा वादीगण का है । असल रेस्पो0 का अधिकार केवल उसके द्वारा खरीद किये गये रकबा 2.21 तक ही सीमित है, किन्तु वह वादीगण के साबिक खसरा नम्बर 84 के बचे हुये रकबा 33 एयर पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं और निर्माण करने की फिराक में है । तहत न्यायालय को वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सम्पूर्ण रूप से निस्तारण करना चाहिये था तथा विवादित आराजी की यथावत स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाना न्यायसंगत है । तहत न्यायालय ने धारा 212 के तीनों बिन्दुओं को विवेचित नहीं किया गया है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

3 विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय द्वारा हमको सही प्रकार से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से मुक्त किया गया है । विवादित आराजी खसरा नम्बर 91 व 91/783 के खिलाफ वादी अपीलांट द्वारा कोई

5/12/19
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

रिलीफ नहीं चाही गई थी । इस आराजी पर इनका कोई कब्जा नहीं है । इस आराजी का कुल रकबा 2.21 हेक्टेयर है, जो रकबा अपीलांट वादी द्वारा बेच दिया गया है । वर्तमान में बलवीरसिंह इस पर काबिज है । रकबा 33 एयर से बलवीरसिंह असल रेस्पो0 का कोई सम्बन्ध नहीं है । बलबीरसिंह को गलत पक्षकार बनाया गया था । विवादित आराजी का कुल रकबा 2.21 हेक्टेयर वादी अपीलांट द्वारा बेचान कर दिया गया तथा शेष रकबा 33 एयर विवादित है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है । अदालत हाजा द्वारा इस रकबा 33 एयर की बाबत किसी प्रकार भी प्रकार का निर्णय पारित कर दिया जावे, हमको कोई आपत्ति नहीं है ।

4 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्को पर गौर किया । तहत पत्रावली में संलग्न साबिक एवं हाल रेकार्ड का अवलोकन किया । वादी अपीलांट विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बरा 84 रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा के साबिक खातेदार थे । इस साबिक नम्बर से हाल खसरा नम्बर 91 व 91/783 कायम किये गये हैं, जिनका कुल रकबा 2.21 हेक्टेयर दर्ज रिकार्ड किया गया है । इस सम्बन्ध में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि हाल बंदोबस्त में साबिक रकबा के मुकाबले 33 एयर रकबा कम दर्ज कर दिया गया । जबकि असल रेस्पो0 विवादित भूमि के 2.21 हेक्टेयर रकबा का ही काबिज खातेदार है । उसे 33 एयर रकबा जो कि विवादित है, पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने या कब्जा काश्त में लेने का कोई अधिकार नहीं है । तहत अदालत ने उनका प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0 टी0 एक्ट गलत खारिज किया है । साबिक रेकार्ड के मुकाबले 33 एयर रकबा किस आधार पर कम दर्ज किया गया है, उस पर वादी अपीलांट का राईट बनता है अथवा नहीं, ये बिन्दू मूल वाद में तय होंगे । असल रेस्पो0 का रकबा 2.21 हेक्टेयर तक ही अधिकार बनता है । शेष रकबा 33 एयर से उनका कोई लेना देना नहीं है । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने विवादित आराजी के सम्पूर्ण रकबा को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से मुक्त कर दिया । इस सम्बन्ध में स्वयं असल रेस्पो0 ने कहा है कि उनका अधिकार केवल 2.21 हेक्टेयर तक हीं है, 33 एयर रकबा से उनका कोई लेना देना नहीं है । अतः उपरोक्त समस्त

5/11/19
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

तथ्यों के विवेचन की रोशनी में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है ।

5 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.9.2019 निरस्त किया जाता है तथा तहत अदालत में विचाराधीन मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि रेस्पो0 खसरा नम्बर 91 व 91/783 वाके ग्राम कोलीलासांगा तहसील नीमराना के कुल रकबा 2.21 हेक्टेयर की सीमा तक ही काबिज काश्त रहे तथा उस पर ही उसका उपयोग उपभोग का अधिकार है । यदि मौके पर 33 एयर रकबा साबिक रकबे के अनुसार अधिक है तो उसे अपने कब्जे काश्त में नहीं लेवे । उक्त 33 एयर रकबा विवादित आराजी के किसी भी दिशा में छोडा जावे ।

6 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/12/19

(कमल राम मीना)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर